अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं.14036/526/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक : 26|08|2013

सेवा में

श्री बक्शीश सिंह,
सं. 18/1, प्रथम तल, प्रेम नगर,
सफदरजंग बस टर्मिनल के सामने,
नई दिल्ली-110003

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 20.7.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 12.8.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपका आवेदन इस मंत्रालय के दिनांक 21.03.2013 के पत्र संख्या 14036/10/2013-यू टी पी के तहत पहले ही दिल्ली पुलिस को अंतरित किया जा चुका है। तथापि, आपके आर टी आई आवेदन की विषय-वस्तु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और दिल्ली पुलिस से निकटता से संबंधित है, इसलिए आपका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत इन लोक प्राधिकारियों को उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

Issued without 2166 6/9.

(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-II)

प्रति प्रेषित :

1. श्री वी. कृष्णास्वामी, उप सचिव (आर टी आई), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, कमरा सं. 135, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001- आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे प्रदान की जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।
2. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली- आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे प्रदान की जाए।